(2008) 12 S.C.R. 576

महाप्रबंधक,

भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य

बनाम

अंजू जैन

सिविल अपील सं. 5224 सन 2008

अगस्त 25, 2008

(सी.के. ठक्कर एवं डी.के.जैन, जे.जे.)

सेवा कानून-अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति-इन्कार

इस आधार पर कि मृतक कर्मचारी को, उसके सेवाकाल/कार्यकाल के दौरान कदाचार के लिए दण्डित किया गया था। नियुक्ति को उचित रूप से अस्वीकार किया गया-मृतक कर्मचारी के आश्रित ऐसी नियुक्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकते, कर्मचारी को इस दौरान अवैधताओं और करादचार के लिए दण्डित किया गया था। ऐसी नियुक्ति एक अधिकार नहीं है-यह समानता के सामान्य नियम का एक अपवाद है। प्रासंगिक समय समय पर लागू अनुकम्पा की नीति के तहत दावा अस्वीकार कर दिया गया था।

भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 14

रिट-निर्देश जारी करना परमोदेश का क्षेत्र/दायरा अवधारित-परमादेश

की रिट का निर्देश केवल नियुक्ति पदोन्नति के मामले पर विचार करने के निर्देश के साथ जारी किया जा सकता है। लेकिन नियुक्ति/पदोन्नति के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

प्रतिवादी का पति-अपीलकर्ता बैंक में काम करता था। उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए, परिणामस्वरूप उसे दण्डित किया गया। इसके बाद नौकरी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिवादी ने मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने के नीति के तहत आवेदन किया। सक्षम प्राधिकारी ने मृत कर्मचारी पर अधिरोपित दण्ड को ध्यान में रखते हुए ऐसी नियुक्ति से इन्कार कर दिया। इसके विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन को भी खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी ने एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह मानते हुए याचिका स्वीकार कर ली कि मृत कर्मचारी की विधवा अनुकम्पा नियुक्त के लाभ के लिए हकदार थी और उसके मृत पति के कदाचार के आधार पर यह अधिकार नहीं छिना जा सकता था। एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी को नियुक्त करने का निर्देश जारी किया। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने आदेश की पुष्टि की, इसलिए यह अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय ने अपील स्वीकार की।

अवधारित-

1.1 एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच का यह मत सही नहीं था कि चूंकि मृत कर्मचारी को दण्डित किया गया था, इसलिए यह मामता वही समाप्त हो गया और मृतक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर उसके आश्रित को नियुक्ति के मामले में उक्त सजा का कोई महत्व/परिलाभ नहीं होगा।

(पैरा 36) (589-H, 590-A)

1.2 यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू हो गई है और ऐसे कर्मचारी के खिलाफ लाए गए आरोप साबित हो गए है और उसे दण्डित किया गया है, तो वह वास्तव में ऐसे कर्मचारी को इस आधार पर लाभ नहीं देने के लिए एक प्रासंगिक विचार है कि उसे दण्डित किया गयाथा। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह दोहरी सजा का मामला है। अनुकम्पा नियुक्ति वास्तव में मृतक कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में एक रियायत है। यदि कर्मचरी ने अपने कार्यकाल के दौरान उसने गैर कानूनी/अवैधानिक कार्य किए है और कदाचार साबित हो जाए, और उसे दण्डित किया जाए, तो जाहिर तौर पर उसके आश्रित रोजागार के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय का यह मत सही नही था ऐसी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों का उल्लंघन होगी।

(पैरा 30) (588.C-E)

1.3 अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कभी भी व्यक्ति का अधिकार

नहीं माना गया है। वास्तव में, ऐसी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत स्थापित और गारंटीकृत समानता के नियम का उल्लंघन है। विधि का सुस्थापित नियम है कि सरकार को तयशुदा कानून के अनुसार कोई नियुक्ति करनी होती है या अर्द्ध सरकारी या सार्वजनिक कार्यालय तब, सभी पात्र उम्मीद्वारों के मामले पर एक समान विचार किया जाना चाहिए यह अनुच्छेद 14 का आदेश Mandate है। इसलिए आमतौर पर सार्वजनिक कार्यालीय में कोई नियुक्ति करनले वाला राज्य या उसके साधान ऐसे आदेश की अनदेखी नहीं कर सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति अपरिहार्य मानी जाती है ताकि मृत कर्मचारी का परिवार भूखा ना रहे। ऐसी योजना का प्राथमिक उद्धेश्य एक मात्र कमाने वाले की मृत्यु के कारण होने वाले अचानक वित्तीय संकट से पीड़ित परिवार को बचाना है। इस प्रकार यह समानता के सामान्य नियम का एक अपवाद है और रोजगार का काई अन्य स्वतन्त्र और समानान्तर स्रोत नहीं है।

(पैरा 29) (587-F-H, 588-A B)

1.4 प्रासंगिक समय में लागू नीति के तहत भी, अपीलकर्ता बैंक मृतक कर्मचारी की पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ प्राप्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने में पूरी तरह से सही और उचित था। अनुकम्पा नियुक्ति योजना में कुछ नये प्रावधान जोड़े गये। पात्रता से

सम्बन्धित पैरा 5 में बहिष्करण से सम्बन्धित एक खण्ड शासित किया गया था। सेवाकाल में मृत या स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के कदाचार से सम्बन्धित खण्ड (F) जोड़ा गया। इस खण्ड को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी या वह चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो गया था लेकिन जिसका सेवा रिकॉर्ड उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण खराब हो गया था, उसके आश्रित को पैरा F के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

(पैरा 42 ए 23 और 24) (592-B, 585 D, F, G)

2.A परमादेश की रिट जारी की जा सकती है जिसमें प्राधिकारी को नियुक्ति या पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को नियुक्त करने या पदोन्नत करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

(पैरा 37) (590-C)

रिट/याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए मार्च, 2000 में स्टेट बैंक में आवेदन किया। बैंक के सक्षम प्राधिकारी ने मृत कर्मचारी पर लगाए गए दंड को ध्यान में रखते हुए रिट याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया।

इससे व्यथित होकर रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका

दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार कर ली।

डिवीजन बेंच ने भी विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की और अपील खारिज कर दी।

न्यायालय का निष्कर्ष:

आक्षेपित निर्णय सम्पोषणीय नहीं है।

परिणाम: अपील अस्वीकार की गई।

संदर्भित अधिनियम:

भारत का संविधान: अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 14

सेवा कानूनः।

संदर्भित मामले:

सुमन लता यादव बनाम भारत संघ (2004) 113 DELLT 152- स्वीकार; (पैरा 32) अनुमत

मैसूर राज्य बनाम सैयद महमूद,;(1968) 3 एस.सी.आर 363 पर विश्वास किया गया।; (पैरा 38) भरोसा

बिहार राज्य बनाम डॉक्टर ब्रज कुमार मिश्रा; (1999) 9 एस.सी.आर 546 पर आधारित; (पैरा 40)

महत्वपूर्ण बिन्दु

याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए प्राधिकरण को निर्देश देने वाला परमादेश रिट जारी किया जा सकता है लेकिन किसी व्यक्ति को नियुक्त करने या पदोन्नत करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए यूयू ललित, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजय कपूर, सुश्री शुभ्रा कपूर, राजीव कपूर और सुश्री आरती सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए वीएन गणपुले, वरिष्ठ अधिवक्ता, नरेश कुमार गौर और अशोक कुमार सिंह।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (संक्षेप में स्टेट बैंक) और अन्य द्वारा 2 मार्च, 2006 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की गई है। 2001 की C.M.W.P संख्या 45006 और 25 अप्रैल, 2007 को 2006 की विशेष अपील संख्या 390 में उक्त न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई। उक्त आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने श्रीमती अंजू जैन द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी। अंजू जैन, रिट-याचिकाकर्ता (यहाँ प्रतिवादी) ने स्टेट बैंक को अपने पति की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता

के पति श्री जैन, उत्तरप्रदेश राज्य में भारतीय स्टेट बैंक की करहल शाखा, आगरा में सहायक के रूप में कार्यरत थे, सितंबर, 1995 में उन्हें कदाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। और गबन/दुरुपयोग के घोर कदाचार करने के लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। उनके खिलाफ विभागीय जांच की कायर्वाही प्रारंभ की गई जिसमें उन्हें दोषी पाया गया। 1996 में, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए निष्कर्षों के आधार पर, उन पर सजा अधिरोपित की गई, जिसके आदेशानुसार उनका मूल वेतन दो चरणों में कम करके पांच वार्षिक भविष्य की वेतन वृद्धि भी संचयी प्रभाव से रोक दी गई । रिट/याचिकाकर्ता के पति की स्टेट बैंक में सेवा के दौरान 25 जनवरी 2000 को मृत्यु हो गई।

4. स्टेट बैंक ने 01 जनवरी, 1979 से चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त मृत कर्मचारियों/कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना बनाई थी। इसे समय-समय पर संशोधित किया गया था। प्रासंगिक समय पर, जब रिट/याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु हो गई (25 जनवरी, 2000), 01 जनवरी, 1998) उस समय से यह संशोधित नीति लागू थी।

5. मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने की नीति के अनुसार, रिट/याचिकाकर्ता ने मृतक की पत्नी के रूप में मार्च,

2000 में स्टेट बैंक में आवेदन किया। बैंक के सक्षम प्राधिकारी ने मृतक की पत्नी के आवेदन पर विचार किया। मृत कर्मचारी पर अधिरोपित दंड को ध्यान में रखते हुए, रिट/याचिकाकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया और उसे सूचित किया कि ऐसी कोई नियुक्ति नहीं दी जा सकती। रिट/याचिकाकर्ता द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया था लेकिन इसे भी 16 जुलाई 2001 को खारिज कर दिया गया था।

6. स्टेट बैंक की उपरोक्त कार्रवाई से व्यथित होकर रिट/याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर की. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की योजना और मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के बाद, यह कहते हुए याचिका स्वीकार कर ली कि मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता मृत कर्मचारी के आश्रित के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लाभ की हकदार है। एकल न्यायाधीश ने कहा कि उक्त अधिकार, जो उसके पक्ष में अर्जित किया गया था, केवल उसके पति के कदाचार के आधार पर स्टेट बैंक द्वारा छीना नहीं जा सकता था, जिसके लिए उसे दंडित किया गया था। तदनुसार, एकल न्यायाधीश द्वारा रिट/याचिकाकर्ता को नियुक्त करने का निर्देश जारी किया गया था ।

7. स्टेट बैंक ने उक्त आदेश से व्यथित होकर, इंट्रा-कोर्ट अपील दायर

करके उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में संपर्क किया, लेकिन डिवीजन बेंच ने भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की और अपील को खारिज कर दिया। उक्त आदेश को वर्तमान में इस अपील में चुनौती दी गई है।

8. हमने तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। नोटिस 17 मई, 2007 को जारी किया गया था और पक्षों को सुनने के बाद, रजिस्ट्री को मामले को 01 मई, 2008 को अंतिम सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दिया गया था।

9. अपीलकर्ता/बैंक के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित और कानून के विपरीत हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को कभी भी मृत कर्मचारी के आश्रित का अधिकार नहीं माना जाता है। यह एक ऐसे कर्मचारी के आश्रित को दिया जाने वाला लाभ है जिसकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत 'समानता खंड' के सामान्य नियम का अपवाद है। इसलिए, ऐसी नियुक्ति केवल नियोक्ता द्वारा अपनाई गई नीति या बनाई गई योजना के अनुसार ही दी जा सकती है।

10. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि कर्मचारी ने कदाचार किया है जिसके लिए उसे दंडित किया गया है, तो ऐसे कर्मचारी का

आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के अनुसार, दोनों अदालतें ने यह मानने में पूरी तरह भूल की थी कि मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता को मृत कर्मचारी के तथाकथित कृत्यों के लिए दंडित करने की मांग की गई थी। अधिवक्ता ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं देने पर मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता को दंडित करने का कोई सवाल ही नहीं है। मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता के पति ने कदाचार किया था जो उसके खिलाफ की गई जांच में साबित हुआ और उसे दंडित किया गया। इसलिए मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता अनुकंपा के आधार पर नीति के अनुसार नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती। मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अधिकार प्रोद्भूत हुआ नहीं था। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और डिवीजन बेंच द्वारा पुष्ट किया गया आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

11. वैकल्पिक रूप से, यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि भले ही मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए पात्र माना जाता है, यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि नियोक्ता के खिलाफ परमादेश जारी किया जा सकता है, जो उसे ऐसे मामले पर विचार करने का आदेश देने तक सीमित है। आवेदक। मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं

किया जा सकता है। इस आधार पर भी, उक्त आदेश रद्द किये जाने योग्य हैं।

12. रिट/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और डिवीजन बेंच द्वारा इसकी पुष्टि की गई का समर्थन किया करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि तथाकथित कदाचार के लिए, मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता के पति को पहले ही दंडित किया गया था। इसलिए यह मामला यहीं ख़त्म हो गया. इसके बाद, प्रचलित नीति के आलोक में बैंक के लिए यह अवसर खुला था कि वह मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता को ऐसी नियुक्ति से वंचित करने के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से इंकार कर सकता था। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को अनुमति देकर सही कदम उठाया और डिवीजन बेंच उक्त आदेश में हस्तक्षेप न करके कोई भूल नहीं की थी।

13. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि आम तौर पर, एक रिट कोर्ट नियोक्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मृत कर्मचारी के आश्रित के मामले पर विचार करने का निर्देश देगी। हालाँकि, उन्होंने कहा कि मामले के तथ्यों के आधार पर, बैंक के लिए एकमात्र आधार यह था कि मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता के पति को दंडित किया गया था और इसलिए, उसकी विधवा को योजना के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता था। यदि उक्त तथ्य के आलोक में, मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता की नियुक्ति

करने का आदेश पारित किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे निर्देश जारी करके विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इसलिए, डिवीजन बेंच ने अपील को खारिज करने का फैसला सही किया और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और डिवीजन बेंच द्वारा पुष्ट किए गए आदेश को रद्द करके इस अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

15. यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता का पति अपीलकर्ता बैंक में कार्यरत था। वह अवैध कार्यों में लिप्त था और कदाचार करता था जिसके लिए उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसने मृत कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद निष्कर्ष दर्ज किया कि कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए थे। जांच अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना करने और जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति अपचारी कर्मचारी को प्रदान करके अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, अपचारी कर्मचारी के मूल वेतन को दो चरणों में कम करके जुर्माना लगाया तथा संचयी प्रभाव से भविष्य में पाँच वार्षिक

वेतन वृद्धियाँ रोकने के दंड से दंडित किया जिसकी भविष्य में किसी प्रकार की कोई अपील/रिवीजन नहीं करने पर उक्त आदेश अंतिम रूप ले चुका था।

16. यह भी विवादित नहीं है कि जनवरी, 2000 में कर्मचारी की मृत्यु हो गई और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उसकी विधवा, मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उस समय, अपीलकर्ता बैंक उस योजना द्वारा शासित था जो 01 जनवरी, 1978 से 01 जनवरी, 1998 तक संशोधित रूप में लागू थी।

17. स्टेट बैंक के अधिवक्ता ने हमारा ध्यान मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना की ओर आकर्षित किया। नियम के अनुसार, कुछ मामलों में ऐसा लाभ दिया जा सकता है। योजना के पैरा 6 में 'नियुक्ति की विधि' निर्धारित की गई है। उक्त पैरा का खंड (D) उन मामलों से संबंधित है जहां किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। उक्त खंड निम्नप्रकार है :

(D) ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित/विचाराधीन थी, अनुकंपा के आधार पर आश्रित की नियुक्ति पर पूर्व सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

18. चूंकि मृत कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में बड़ी

सजा हुई और उसकी विधवा द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन किया गया था, बैंक ने मामले को भारत सरकार को भेज दिया। इस मामले पर सरकार ने विचार किया लेकिन कानून के अनुसार उचित निर्णय लेने के लिए इसे बैंक को भेज दिया गया।

19. बैंक ने मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर फिर से विचार किया लेकिन उसके पति पर अधिरोपित दंड के मद्देनजर ऐसा लाभ देने से इंकार कर दिया।

20. पैरा 3 में, अपीलकर्ता बैंक के प्रबंध निदेशक ने दिनांक 29 जनवरी 2001 को कहा;

> "इस संबंध में, हमें यह सलाह देनी होगी कि यद्यपि अनुकंपा नियुक्ति के लिए हमारी योजना स्पष्ट रूप से यह नहीं बताती है कि मृत कर्मचारी की बेदाग सेवा होनी चाहिए थी, लेकिन यह विवक्षित है कि मृतक के घोर कदाचार को देखते हुए, इस पर सक्षम प्राधिकारी कार्यालय ने उनकी पत्नी श्रीमती अंजू जैन को बैंक में अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।
>
> 21. बैंक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि कर्मचारी की सेवाएँ पूरी तरह से संतोषजनक नहीं थीं और वह विभागीय जाँच में दोषी पाया गया और कदाचार के

लिए दंडित किया गया, तो नियोक्ता के लिए यह अवसर था कि वह नियुक्ति का लाभ न दे। ऐसे दोषी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को अनुकंपा का आधार, तो इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।

22. हमारी राय में, प्रस्तुतीकरण उचित है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। स्टेट बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने 1979 में बनाई गई और 1998 में संशोधित अनुकंपा नियुक्तियों की योजना का भी उल्लेख किया, जिसे 2003 में संशोधित किया गया था। उक्त योजना का अर्थ है "उन मामलों के संबंध में अनुकंपा नियुक्तियों में संशोधन की योजना जहां मृत कर्मचारी/ स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी घोर कदाचार में शामिल थे"।

23. अनुकंपा नियुक्ति योजना में कुछ नये प्रावधान जोड़े गये। पात्रता से संबंधित पैरा 5 में 'बहिष्करण' से संबंधित एक खंड डाला गया था। ऐसे कर्मचारी के कदाचार से संबंधित खंड (एफ) जो सेवा के दौरान मर गया या स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्त हो गया, जोड़ा गया था जो इस प्रकार है:

(एफ) जिस कर्मचारी की मृत्यु हो गई है या जो स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्त हो गया है और जिसका सेवा रिकॉर्ड उसके खिलाफ

अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण खराब हो गया है, उसके आश्रित बैंक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

24. उपरोक्त खंड को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी या वह चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन बैंक में जिसका सेवा रिकॉर्ड उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण खराब हो गया था, उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

25. जैसा कि पहले देखा गया था, मृतक की पत्नी/याचिकाकर्ता ने 01 जनवरी 1998 से संशोधित 1979 की अनुकंपा नियुक्ति योजना पर विश्वास करते हुए उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया कि उसका पति बैंक का कर्मचारी था, विभागीय कार्यवाही चल रही थी। पहले भी उसे दंडित किया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता बैंक के पास उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने से इनकार करने का अधिकार नहीं था क्योंकि उसे अपने पति द्वारा किए गए कथित गलत कृत्यों के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता था।

26. विद्वान एकल न्यायाधीश के मत का विवेचन किया गया जिन्होंने याचिका की अनुमति दी और कहा;

> "मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और मामले के रिकॉर्ड के साथ-साथ याचिकाकर्ता के विद्वान

अधिवक्ता द्वारा न्यायिक निर्णयों को देखा है और मैंने पाया है कि जिस समय याचिकाकर्ता ने किसी की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था उनके मृत पति, पिछली योजना याचिकाकर्ता के मामले पर लागू थी और संशोधित योजना मई, 2002 से लागू हुई। मेरा विचार है कि संशोधित योजना के खंडों के अप्रभावी/अप्रयोग्य प्रावधानों का उत्तरदाताओं द्वारा सहारा नहीं लिया जा सकता है। केवल याचिकाकर्ता के मृत पति के कदाचार के कुछ आरोपों के कारण याचिकाकर्ता को मिलने वाले उचित लाभों से वंचित करने के आधार के रूप में, जिसके लिए उसे पहले ही दंडित किया जा चुका था। जिस कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, उसके कदाचार का कोई पिछला कार्य नहीं हो सकता है। अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए परिवार के सदस्य के मामले पर विचार करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह मृत कर्मचारी को प्रदान किया जाने वाला लाभ नहीं है, बल्कि उसके आश्रितों को जीवित रहने के लिए तत्काल सहायता/राहत प्रदान करना है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने के कारण प्रतिवादियों का निर्णय कानून की नजर में अस्वीकार्य है।"

27. इसलिए, एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए;

> "नतीजतन, याचिका स्वीकार की जाती है और अनुमति दी जाती है और दिनांक 21.05.2001 और 16.07.2001 (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 और 4) के आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है। तदनुसार, प्रतिवादी-बैंक को नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता को उसके पति की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर, कानून के अनुसार और पहले की योजना के अनुसार, जो उस समय लागू थी, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने के भीतर दी जाएगी। संबंधित प्राधिकारी-प्रतिवादी बैंक को खर्चे के संबंध में कोई निर्देश नहीं देगा।"

28. जब स्टेट बैंक द्वारा एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई, तो डिवीजन बेंच ने माना कि विद्वान एकल न्यायाधीश आवश्यक निर्देश जारी करने में सही थे और कोई कमी नहीं थी। डिवीजन बेंच ने कहा;

> "रिकॉर्ड से, यह स्पष्ट है कि उक्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद, वर्तमान अपीलकर्ताओं ने भी योजना बदल दी है और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए खंड (1) पेश किया

है। जिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उसके आश्रित के अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन पर विचार करते समय उसके पिछले कदाचार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और विचार किया जाएगा। हालाँकि, नीति में उक्त संशोधन भूतलक्षित रूप से लागू नहीं होता है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही माना है कि उक्त कर्मचारी के पिछले कदाचार के कृत्य पर विचार नहीं किया जा सकता था।

29. हमारा मत है कि दोनों न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता को राहत देने में भूल की है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कभी भी किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं माना गया है। वास्तव में, ऐसी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित और गारंटीकृत समानता के नियम का उल्लंघन है। स्थापित कानून के अनुसार, जब कोई नियुक्ति सरकारी या अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक कार्यालय में की जाती है, तो सभी योग्य उम्मीदवारों के मामलों पर एक समान विचार किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 14 का निर्देश है। इसलिए, आमतौर पर, सार्वजनिक कार्यालय में कोई नियुक्ति करने वाला राज्य या उसके अनुसंघीय, ऐसे आदेश की अनदेखी नहीं कर सकता

है। हालाँकि, कुछ परिस्थितियों में, मृत कर्मचारी के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अपरिहार्य मानी है ताकि मृत कर्मचारी के परिवार को भूखा न रहना पड़े। ऐसी योजना का प्राथमिक उद्देश्य एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के कारण होने वाले अचानक वित्तीय संकट से पीड़ित परिवार को बचाना है। इस प्रकार यह समानता के सामान्य नियम का अपवाद है और रोजगार का कोई अन्य स्वतंत्र और समानांतर स्रोत नहीं है।

30. इसलिए, हमारे मत में, यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है और ऐसे कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं और उसे दंडित किया गया है, तो यह वास्तव में ऐसे कर्मचारी के आश्रितों को लाभ नहीं देने के लिए एक प्रासंगिक विचार है। कि उसे सज़ा मिली. हमारे लिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह दोहरी सजा का मामला है। अनुकंपा नियुक्ति वास्तव में मृत कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में एक रियायत सांत्वना है। यदि उसने अपने कार्यकाल के दौरान अवैध कार्य किए हों और कदाचार साबित हो जाए और उसे दंडित किया जाए, तो जाहिर है कि उसके आश्रित

सम्मान के साथ रोजगार के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मत पूरी तरह से गलत था कि ऐसी कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगी।

31. हमारे लिए, विद्वान एकल न्यायाधीश की यह टिप्पणी कि

"अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए परिवार के किसी सदस्य के मामले पर विचार करते समय नौकरी के दौरान मरने वाले कर्मचारी के किसी भी पिछले कदाचार के कृत्य को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है" यह कानून के अनुरूप नहीं है। किसी कर्मचारी का पिछला आचरण निस्संदेह एक महत्वपूर्ण विचार है। हमारा यह भी विचार है कि स्टेट बैंक ने 29 जनवरी 2001 के अपने पत्र के माध्यम से मृत कर्मचारी की पत्नी की प्रार्थना को यह कहते हुए अस्वीकार करने में सही किया था कि "बेदाग सेवा रिकॉर्ड विवक्षित है"।

32. बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान सुमन लता यादव बनाम भारत संघ और अन्य , (2004) 113 DelLT 152 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले की ओर आकर्षित किया। उस मामले में, एक मृत

कर्मचारी की पत्नी ने मांग की थी पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले। अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया. मृतक की पत्नी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। भारत संघ द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही और मृतक को मिली सजा के कारण, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मृतक की पत्नी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

33. मृतक की पत्नी की ओर से तर्क दिया गया कि भारत संघ की कार्रवाई वैध नहीं थी और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से इंकार नहीं किया जा सकता था।

34. मृतक की पत्नी की ओर से इस तर्क को अस्वीकार करते हुए और याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा;

> "मैं इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। हालांकि यह सच है कि मुख्य उद्देश्य सहायता और तत्काल राहत प्रदान करना है, फिर भी मृतक के सेवा रिकॉर्ड या अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण और उसे दी गई सजा के तथ्य को अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है। दागी सेवा रिकॉर्ड वाले मृत कर्मचारी के कारण मृतक के विधिक

वारिसान को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने की संभावना, कर्मचारियों को कदाचार में लिप्त होने से रोकेगी। यह अनुशासन और ईमानदारी बनाए रखने वालों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा, जब नियुक्ति और अवसरों की उपलब्धता सीमित है, तो जिनका रिकॉर्ड खराब रहा है उनके विधिक वारिसान की तुलना में बेदाग रिकॉर्ड वाले उन कर्मचारियों के विधिक वारिसान को प्राथमिकता देने में कुछ भी गलत नहीं है।

35. हमारे मत में, उपरोक्त अवलोकन से कानून का सही प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं और हम उनका अनुमोदन करते हैं।

36. इसलिए, हमारे लिए, वर्ष 2000 में लागू नियम के तहत भी, बैंक के मृत कर्मचारी की मृतक की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने से इंकार करने में स्टेट बैंक सही था। हमें कार्रवाई में कोई अवैधता नहीं दिखती है। हम मानते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच का यह मानना सही नहीं था कि चूंकि मृत कर्मचारी को दंडित किया गया था, इसलिए मृत कर्मचारी का मामला वहीं समाप्त हो गया और उक्त सजा का अनुकंपा के आधार पर मृत कमर्चारी के आश्रित की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई परिणाम नहीं होगा।

37. दूसरे आधार पर भी, बैंक का निवेदन उचित है। जैसा कि पहले

उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने बैंक को एक महीने के भीतर मृत कर्मचारी की पत्नी/याचिकाकर्ता को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। स्थापित कानून के अनुसार, परमादेश की रिट जारी की जा सकती है जिसमें प्राधिकरण को याचिकाकर्ता के मामले पर नियुक्ति या पदोन्नति के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को नियुक्त करने या पदोन्नति करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

38. मैसूर राज्य और अन्य बनाम सैयद महमूद और अन्य (1968) 3 एससीआर 363, में उच्च पद पर पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर दी जानी थी।' A' को पदोन्नत नहीं किया गया. इसलिए, उन्होंने पदोन्नति का दावा करते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 का उपयोग करके मैसूर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने एक परमादेश रिट जारी कर सरकार को पदोन्नत करने का निर्देश दिया। राज्य ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

39. अपील को स्वीकार करते हुए और राज्य को पदोन्नति देने का आदेश देने वाले उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि अधिक से अधिक, उच्च न्यायालय राज्य को सही पर मृतक की पत्नी /याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए परमादेश जारी कर सकता था। सिद्धांत. यह नियोक्ता को भूतलक्षित

प्रभाव से मृतक की पत्नी /याचिकाकर्ता को पदोन्नत करने का निर्देश जारी नहीं कर सकता था। इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में सैयद महमूद का अनुसरण किया गया था।

40. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने, इसमें कोई संदेह नहीं, बिहार राज्य बनाम डॉ. ब्रज कुमार मिश्रा और अन्य, (1999) 9 एससीसी 546 में एक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें इस न्यायालय ने माना था कि आम तौर पर परमादेश एक रिट द्वारा जारी किया जा सकता है। कोर्ट ने प्राधिकरण को मृतक की पत्नी /याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, यदि न्यायालय अन्यथा संतुष्ट है तो मृतक की पत्नी /याचिकाकर्ता के पक्ष में राहत देकर सकारात्मक निर्देश जारी किया जा सकता है।

41. न्यायालय ने कहा;

> "यह सच है कि आम तौर पर न्यायालय को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, विवादित आदेश को रद्द करने के बाद मामले को संबंधित प्राधिकारी को भेज देना चाहिए, खासकर तब जब ऐसे प्राधिकारी में मुद्दे पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञ शामिल हों। जारी किए गए निर्देशों और उसके द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, लेकिन निर्दिष्ट

मामलों में, तत्काल मामले के रूप में, किसी भी चीज ने अदालत को निर्देश जारी करने से नहीं रोका, जब प्रतिवादी नंबर 1 की पात्रता और उसके कब्जे के संबंध में सभी तथ्य स्वीकार किए गए थे। आवश्यक योग्यताएँ। अधिकारियों को रिमांड केवल एक अनुष्ठान और औपचारिक होगा।

आयोग के लिए खामियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में की गई सिफारिश के बावजूद उचित कार्यवाही करने में आयोग असफल रहा। विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी 1.2.1985 से प्रतिवादी नंबर 1-प्रोत्साहक घोषित करना आवश्यक समझा। हमें अधिकार क्षेत्र में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं मिली। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता आशंकित थे कि यदि आक्षेपित निर्णय को रद्द नहीं किया गया, तो यह एक मिसाल बन सकता है और विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य मामलों में, भविष्य में भी ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिससे अधिकारियों और राज्य सरकार को अपने वैधानिक कार्य करने से रोका जा सकता है। यह आशंका गलत है और इसमें कोई दम नहीं है। ऐसी आशंकाओं को दूर करने के लिए हम यह स्पष्ट

करना उचित समझते हैं कि आक्षेपित निर्णय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में पारित किया गया है और उस विषय के संबंध में कोई मिसाल नहीं है जिसके बारे में अपीलकर्ताओं ने आशंका व्यक्त की है।

(जोर दिया गया)

42. इस तथ्य के अलावा कि 'अजीब परिस्थितियों' में, इस न्यायालय द्वारा एक सकारात्मक निर्देश जारी किया गया था और यह कहा गया था कि हमारी राय में इस विषय के सम्बन्ध में निर्णय 'कोई मिसाल नहीं है। वर्तमान मामले में, दूसरा चरण ही नहीं हुआ. जैसा कि हमने माना है कि 2000 में लागू नियम के तहत भी, अपीलकर्ता बैंक मृतक कर्मचारी की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ देने की प्रार्थना को अस्वीकार करने में पूरी तरह से सही और उचित था। इसलिए, दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेश केवल इसी आधार पर रद्द किए जाने योग्य हैं।

43. उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि किए गए आदेश को रद्द किया जाता है और स्टेट बैंक के मृत कर्मचारी की पत्नी द्वारा दायर की गई रिट याचिका को रद्द किया जाता है। अनुकंपा के आधार पर मृत कर्मचारी के आश्रित के रूप में नियुक्ति को खारिज करने

का आदेश दिया जाता है।

44. हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, पक्षकार को अपने खर्चे/व्यय स्वयं वहन करने का आदेश दिया जाता है। (अपील स्वीकार)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री नाहर सिंह मीणा, जिला न्यायाधीश संवर्ग द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है और किसी अन्य उद्धेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्धेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य से भी अंग्रजी संस्करण ही मान्य होगा।